राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प.1(13)नविवि/3/72 पार्ट–II   दिनांकः– 16 FEB 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में बीकानेर मास्टर प्लान–2023 का अनुमोदन अधिसूचना दिनांक 22.10.2002 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.02.2006 के द्वारा बीकानेर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये 8 नये राजस्व ग्रामों का भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी निर्धारित करते हुये अधिसूचना दिनांक 15.02.2012 के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.01.2020 के द्वारा उक्त क्षेत्र में चकबन्दी एवं राजस्व ग्रामों के विभाजन होने के कारण उपरोक्त अधिसूचना को संशोधित करते हुये, नगरीय क्षेत्र को संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी।

बीकानेर मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र–2023 में प्रस्तावित रेलवे लाईन बाईपास के अलाईनमेंट एवं मास्टर प्लान में आंशिक संशोधन को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया जाता है कि पूर्व में अनुमोदित मास्टर प्लान–2023 के निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित बीकानेर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2023 (संशोधित भू–उपयोग योजना–2023) का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त बीकानेर मास्टर प्लान 2023 (संशोधित भू–उपयोग योजना–2023) मानचित्र की प्रति का निरीक्षण नगर विकास न्यास, बीकानेर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

16/2/2022

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
6. जिला कलक्टर, बीकानेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 16/2/2022 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय